प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से 25 अक्टूबर, 2021 तक मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119/ना0उ0नि0/आप्स-ए0के0/2021, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यरत कै0 अरूण कुमार को दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से 25 अक्टूबर, 2021 तक (दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को आर0वी0एस0एम0 ट्रेनिंग सम्मिलित करते हुए) राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग हेतु मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 76/- प्रति डालर की विनिमय दर से 17,304.00 यू0एस0 डालर जो भारतीय मुद्रा में रू0 13,15,104/- (रूपए तेरह लाख पन्द्रह हजार एक सौ चार मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,79,040/- (रूपए तीन लाख उन्यासी हज़ार चालीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 16,94,144/- (रूपए सोलह लाख चौरानवे हजार एक सौ चौवालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021-22 में कै0 अरूण कुमार को दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 से 25 अक्टूबर, 2021 तक राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 76/- प्रति डालर की विनिमय दर से 17,304.00 यू0एस0 डालर जो भारतीय मुद्रा में रू0 13,15,104/- (रूपए तेरह लाख पन्द्रह हजार एक सौ चार मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,79,040/- (रूपए तीन लाख उन्यासी हज़ार चालीस मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले व्यय के लिए कुल धनराशि रू0 16,94,144/- (रूपए सोलह लाख चौरानवे हजार एक सौ चौवालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या 12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए |

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पायलट को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएँ अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी |

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा | अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा |

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा | अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा |

11- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-782/दस-2021 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

13- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसैन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसैन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/ अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0संख्या-90/2021/1798(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार- प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1.
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित पायलट/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।